

क्रमांक 3323015/छ.ग./2012/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /05/2015

—:आदेश:—


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, के पत्र क्र. 1734/वित्त/ब-4/चार दिनांक 24.11.2011, तथा जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 1327/665/स्था/31/12 दिनांक 27.04.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 17.03.2013 को संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाकर जारी परीक्षा परीणाम के अनुसार संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर उपअभियंता (वि./यां.) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 11.07.2013 एवं 12.07.2013 को संयुक्त कांउसिलिंग की कार्यवाही में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों के जांच पश्चात् अभ्यर्थियों का चयन किया गया। श्री सौजन्य शर्मा, पिता स्व. दिनेश शर्मा को रोजगार कार्यालय में पंजीयन जीवित न होने के कारण चयनित नहीं किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में प्रस्तुत रिट पिटीशन (एस.) क्र. 2535/2013 में दिनांक 15.05.2014 एवं रिट अपील 323/2014 में दिनांक 16.09.2014 को पारित निर्णय के प्रकाश में छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 13-138/31/स्था./2013 दिनांक 05.01.2015 तथा दिनांक 02.05.2015 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय अवमानना प्रकरण क्रमांक (सी) 129/2015 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2015 के परिप्रेक्ष्य में श्री सौजन्य शर्मा, पिता स्व. दिनेश शर्मा को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उपअभियंता (वि./यां.) के पद पर वेतनमान रू. 9300-34800/- + ग्रेड वेतन रू. 4200/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	जाति	जन्मतिथि	संयुक्त मेरिट सूची का रैंक क्रमांक	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सौजन्य शर्मा,	पिता स्व. श्री दिनेश शर्मा	मकान नं. 888, फुटबाल हाऊस के पास, प्रगति चौक, सुन्दर नगर, रायपुर (छ.ग.)	सामान्य	05.05.1990	41	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. संभाग, रायगढ़

- 2/— किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तकर्ता को देकर या नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यार्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।
- 3/— अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।
- 4/— अभ्यार्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 5/— पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्थाई जाति प्रमाण, निवास प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियुक्ति के एक माह के पश्चात् उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 6/— चयनित अभ्यार्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 7/— पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधिया पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी।
- 8/— वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यार्थी के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।
- 9/— अभ्यार्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
- 10/— कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात् अभ्यार्थी को अस्थाई घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
- 11/— तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 12/— अभ्यार्थी को वर्क्स डिपार्टमेंट मेन्युअल भाग-1 के पैरा 1.055 एवं 1.056 के अनुसार लेखा एवं यांत्रिकीय परीक्षा तीन वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
- 13/— उपरोक्त उपअभियंताओं के लिए इस नियुक्ति आदेश के दिनांक से दो वर्ष की अवधि परीक्षा अवधि होगी।
- 14/— कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 15/— उपअभियंता (वि./यां.) के पद पर वरिष्ठता विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन सूची के अनुसार होगी।

16/- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।


प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है। यह नियुक्ति "रिट. पिटि. क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम आदेश/निर्णय के अधधीन होगी"।


(एच.आर. कुटारे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर
रायपुर, दिनांक 02/05/2015

पृ.क्र. 3323015/छ.ग./2012/5507
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर शासन का पत्र क्रमांक एफ 13-138/31/स्था./2013 दिनांक 02.05.2015 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
3. अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना बांध मंडल, खरसिया।
4. जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)।
5. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, वि./यां. संभाग, रायगढ़।
कृपया अभ्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण-पत्रों की जांच के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जावे।
7. संबंधित श्री सौजन्य शर्मा, पिता स्व. दिनेश शर्मा, मकान नं. 888, फुटबाल हाऊस के पास, प्रगति चौक, सुन्दर नगर, रायपुर (छ.ग.) (पंजीकृत डाक से)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(एच.आर. कुटारे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर